



हमारे इर्द-गिर्द प्रायः बढ़ती आयु में शारीरिक कमजोरी अथवा अति गंभीर

जानलेवा रोगों के चलते कष्टमय एवं असहनीय पीड़ा से जूझते लोगों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। कई लोग

वर्षों से कोमा में पड़े रहते हैं और उन पर चिकित्सा का कोई असर भी नहीं होता। संभ्रांत लोग अपने रोगी की

देखभाल के लिए नर्सिंग सेवा की पूर्ण व्यवस्था करने में सक्षम होते हैं, परंतु कई मामलों में बेडसोर ( बिस्तर पर

निरंतर पड़े रहने से पीठ में पीड़ा दायक घाव) जैसी स्थितियां मरीज और देखभाल करने वाले व्यक्ति दोनों के लिए

किसी गंभीर यातना से कम नहीं होता। कितना भी पैसा हो, कितनी भी सुविधाएं हों, एक ऐसी अवस्था में सब बेमानी

हो सकती है। परिवार के सदस्यों की वेदना रोगी की वेदना से कहीं ज्यादा होती है। कभी-कभी उन असीम कष्टों

से छुटकारा पाने की चाहत प्रभावित व्यक्ति और परिवारजन दोनों की होती है, परंतु हमारे देश का कानून किसी को

भी यूथेनेशिया ( इच्छामृत्यु) की अनुमति नहीं देता।

# आखिर क्यों जरूरी हो जाती है इच्छामृत्यु

मोटे तौर पर यूथेनेशिया ( इच्छामृत्यु) मेडिकल की सहायता में संपन्न आत्मघात यानी सुसाइड होता है जिसमें एक चिकित्सक जानबूझकर रोगी की मृत्यु को प्रेरित करता है। दुनिया के कई देशों में उन व्यक्तियों के लिए इच्छामृत्यु प्रक्रिया अपनाने को कानूनी मान्यता प्राप्त है, जो एक बड़ी लंबी अवधि से कोमा की स्थिति में हो या किसी लाइलाज रोग की असहनीय निरंतर पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए आखिरी सांस का इंतजार कर रहा हो। पीड़ा रहित तरीके से और बिना किसी देरी के अपना जीवन समाप्त करने की चाहत अथवा इच्छामृत्यु चुनने को यूथेनेशिया का अधिकार कहा जाता है। इस प्रक्रिया के पीछे दीर्घकालिक, कष्टमय और खर्चीली बीमारी से छुटकारा मिलने का तर्क माना जाता है। कभी-कभी यूथेनेशिया को "मर्सी किलिंग" यानी लाइलाज बीमारी और असहनीय एवं कष्टकारी दर्द से पीड़ित रोगी की हत्या की संज्ञा दी जाती है।

वैसे विश्व के लगभग सभी देशों में इच्छामृत्यु को गैर-कानूनी अर्थात् अवैध माना जाता रहा है, परंतु हालिया दौर में कई देशों में इसे कानूनी मान्यता दिए जाने की शुरुआत हो गई है। दो माह पूर्व ( 5 फरवरी) उत्तर-पश्चिमी यूरोप के एक देश नीदरलैंड्स के 93 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ने यूथेनेशिया के आधार पर अपनी जीवनलीला समाप्त की। उन दोनों की पीड़ा रहित मृत्यु की प्रक्रिया उनके चिकित्सक की सहायता में संपन्न हुई। नीदरलैंड्स वर्ष 2002 में यूथेनेशिया की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश था। डच सरकार के अनुसार यूथेनेशिया की प्रक्रिया रोगी की इच्छा और उसके अनुरोध पर उसके चिकित्सक द्वारा घातक खुराक में एक उपयुक्त औषधि को देकर की जाती है। इस प्रक्रिया में एक चिकित्सक जानलेवा दवाई उपलब्ध कराता है, परंतु इसका सेवन रोगी द्वारा स्वयं किया जाता है। हालांकि डच सरकार द्वारा यूथेनेशिया प्रक्रिया के तहत प्राण त्यागने की अनुमति केवल उन्हीं रोगियों को दी जाती है, जो एक बड़ी लंबी अवधि से निरंतर किसी असाध्य रोग की असहनीय पीड़ा और कष्ट से ग्रस्त हों।

भारत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध है और इच्छामृत्यु को आत्महत्या का ही प्रयास माना जाता है। हालांकि लोगों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या के विफल प्रयास में बच जाए तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही करने के बजाय उसे काउंसलिंग यानी परामर्शक सेवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

द गार्डियन ( 15 जुलाई 2019) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यूथेनेशिया और किसी की सहायता में प्राण त्यागने की प्रक्रिया में अंतर है। यूथेनेशिया प्रक्रिया का निर्णय लंबी अवधि तक कष्टमय जीवन बिताने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि किसी अन्य के द्वारा, उदाहरण के तौर पर उसके चिकित्सक के द्वारा लिया जाता है। असहनीय वेदना से प्रभावित व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया यूथेनेशिया का अनुरोध को "वॉलंटरी यूथेनेशिया" अर्थात् स्वीच्छक इच्छामृत्यु की श्रेणी में माना जाता है। किसी की सहायता में संपन्न आत्महत्या ( असिस्टेड सुसाइड) के अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी



स्वयं प्रभावित व्यक्ति की होती है। मोटे तौर पर वॉलंटरी यूथेनेशिया और किसी अन्य की सहायता में संपन्न सुसाइड दोनों ही प्रक्रियाएं किसी की सहायता में जीवन समाप्त करने के संदर्भ में होती हैं। हालांकि कुछ वर्गों द्वारा इसे केवल मौत की कगार पर खड़े व्यक्ति को आत्महत्या करने में सहायता करने के संदर्भ में माना जाता है।

नीदरलैंड और फ्रांस जैसे कुछ देशों में ऐसे लोगों को पैलिटिव सेडेशन की अनुमति का प्रावधान है, जो मृत्यु होने तक शांतिपूर्वक तरीके से स्वयं को गहन बेहोश रखने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, परंतु इसे यूथेनेशिया नहीं माना जाता। नीदरलैंड में यूथेनेशिया और आत्मघात में सहायता करने जैसी दोनों प्रक्रियाएं असहनीय कष्ट झेलने वाले मरणासन्न ऐसे रोगियों के लिए लीगल है जिनके स्वस्थ होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। बारह वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति इसके लिए अनुरोध कर सकता है, परंतु 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अभिभावकों की मंजूरी अनिवार्य है। बेल्जियम, लक्जमबर्ग, कनाडा और कोलंबिया जैसे देशों में भी यूथेनेशिया और सहायता में संपन्न आत्महत्या दोनों की अनुमति है।

हालांकि कोलंबिया में केवल मरणासन्न रोगी ही अनुरोध कर सकते हैं। बेल्जियम में बच्चों के लिए कोई आयु संबंधी प्रतिबंध नहीं है, परंतु यह जरूरी है कि वे जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हों। स्विट्जरलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों यथा-कैलिफोर्निया, कोलोरेडो, हवाई, न्यू जर्सी, ओरेगॉन, वॉशिंगटन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में यूथेनेशिया की तुलना में मेडिकल सहायता में जीवन समाप्त करने के अनुरोध की स्थिति ज्यादा सामान्य है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में भी सहायता में संपन्न आत्महत्या को कानूनी मान्यता प्राप्त है। ओरेगॉन और वरमोंट राज्यों में मेडिकल सहायता में जीवन समाप्त करने की अनुमति केवल जानलेवा बीमारियों के कारण मरणासन्न रोगियों को ही प्रदान की जाती है। कुछ देशों में यूथेनेशिया की मंजूरी देने का कानून तो बना है, परंतु इसे रोकने का कोई कानून नहीं है। स्विट्जरलैंड में संपत्ति लोभ अथवा स्वार्थी इरादों से किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने में किसी भी तरह की सहायता करना अपराध माना जाता है।

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की

ताजा रिपोर्ट के अनुसार

नीदरलैंड, न्यूजीलैंड,

ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया,

बेल्जियम, लक्जमबर्ग,

स्पेन, कनाडा में कुछ विशेष

परिस्थितियों में सक्रिय

यानी एक्टिव यूथेनेशिया

को कानूनी मान्यता प्राप्त

है। पुर्तगाल, रूस, दक्षिण

कोरिया जैसे अन्य देशों में

भी कुछ विशेष परिस्थितियों

के आधार पर यूथेनेशिया

प्रक्रिया को कानूनी मान्यता

प्राप्त है। हालांकि अलग-अलग

देशों में यूथेनेशिया

से संबंधित पहलुओं में

कानूनी भिन्नता है।

## यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता देने वाले देश



**नीदरलैंड** : अप्रैल 2001 में यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता देने वाला नीदरलैंड विश्व का पहला देश था, जहां अप्रैल 2002 से यह कानून प्रभावी किया गया। वहां एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार के यूथेनेशिया को वैधानिक मान्यता है। नीदरलैंड में यदि कोई रोगी लाइलाज बीमारी के चलते असहनीय पीड़ा से त्रस्त हो और वह अच्छी तरह से जानता हो कि उसका ठीक होना असंभव है, भले ही वह मृत्यु की कगार पर न हो, उस स्थिति में वह एक्टिव यूथेनेशिया के लिए अनुरोध कर सकता है। यूथेनेशिया की प्रक्रिया से जुड़े चिकित्सक को पहले कम से कम एक अन्य चिकित्सक से परामर्श लेनी आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि उस रोगी के लिए यूथेनेशिया प्रक्रिया के सभी मापदंड अनुकूल हैं। उस देश में 12 वर्ष की आयु के बच्चे भी यूथेनेशिया के लिए अनुरोध कर सकते हैं बशर्ते 12 से 16 वर्षीय बच्चों के माता-पिता की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।

**न्यूजीलैंड** : न्यूजीलैंड की "एंड ऑफ लाइफ च्याइस अधिनियम 2019" के अंतर्गत विशिष्ट परिस्थितियों में मेडिकल सहायता में मृत्यु की प्रक्रिया अपनाने को कानूनी मान्यता प्राप्त है। रोगी की आयु 18 वर्ष या अधिक और न्यूजीलैंड का नागरिक अथवा स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही असहनीय कष्ट के साथ उसका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा हो तथा उसे स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि वह महीने के भीतर उसकी मृत्यु संभावित है और वह अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। यदि कोई रोगी यूथेनेशिया के लिए अनुरोध करता है और दो चिकित्सकों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह यूथेनेशिया के सभी मापदंडों के अनुरूप है तो उसका चिकित्सक उसे प्राणघातक खुराक में दवाई देकर यूथेनेशिया प्रक्रिया को संपन्न कर सकता है।

**पुर्तगाल** : असेंबली ऑफ रिपब्लिक पुर्तगाल ने वर्ष 2020 की शुरुआत में कुछ तरह के यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता प्रदान करने का बिल पारित किया था। हालांकि स्पष्टता के अभाव में उस देश के संवैधानिक न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही पुर्तगाल में यूथेनेशिया से जुड़े सभी वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर उसे कानूनी मान्यता प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**रूस** : यद्यपि रूस में यूथेनेशिया प्रतिबंधित है। फिर भी इस प्रक्रिया के विरुद्ध किसी प्रकार के दंड का कानून भी नहीं है।

**दक्षिण कोरिया** : दक्षिण कोरिया में फरवरी 2018 से यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता प्राप्त है। हालांकि इसकी अनुमति केवल ऐसे मरणासन्न रोगी को दी जाती है जिसकी स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही हो और उसके ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं हो।

**स्पेन** : स्पेन में 25 जून, 2021 को सक्रिय यूथेनेशिया का कानून प्रभाव में आया। रोगी के चिकित्सक द्वारा प्राणघातक खुराक में दवाई दी जा सकती है अथवा रोगी को जानलेवा खुराक में दवाई का स्वयं सेवन करने के लिए कहा जा सकता है। यूथेनेशिया का अनुरोध करने वाले व्यक्ति का स्पेन का नागरिक अथवा लीगल निवासी होना अनिवार्य है। उसे अच्छी जानकारी हो कि वह गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। मृत्यु के इच्छुक ऐसे व्यक्ति के लिए 15 दिनों के अंतराल में दो बार यूथेनेशिया

### यूथेनेशिया एक विवादास्पद विषय

यूथेनेशिया एक अत्यंत विवादास्पद विषय है। कुछ लोगों की आध्यात्मिक मान्यता है कि सभी जीवन ईश्वर की देन है और जीवन समाप्त करने का अधिकार केवल ईश्वर को ही है। इसके सामाजिक पहलु के अनुसार यदि इसे कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है तो रोगियों की इच्छा के विरुद्ध चिकित्सक द्वारा यूथेनेशिया प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यदि कोई रोगी/व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करने के लिए सहमत नहीं हो तो उसे हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



### भारत में स्थिति

भारत में एक्टिव यूथेनेशिया अर्थात् चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय उपायों को अपनाकर किसी व्यक्ति अथवा रोगी का जीवन समाप्त करना पूरी तरह अवैध/गैर कानूनी/न्याय विरुद्ध/असंवैधानिक है, परंतु निष्क्रिय और मरणासन्न रूप से बीमार सुबई की नर्स अरुणा शानबाग की ससम्मान मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2018 में पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी गई थी। वह वर्ष 1973 में एक हिंसा के परिणामस्वरूप 42 वर्षों तक अपना निष्क्रिय जीवन बिता रही थी। पैसिव यूथेनेशिया के अंतर्गत मरणासन्न रूप से बीमार यानी टर्मिनली इल किसी रोगी को जीवित रखने के लिए प्रयुक्त लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम से रोगी की मौत टाली जा सकती है, परंतु रोगी और उनके परिवार के जनों के लिए यह अत्यंत पीड़ादायक साबित होती है। मरणासन्न रूप से बीमार रोगी द्वारा असहनीय कष्टों से छुटकारा पाने के लिए अपना इलाज बंद करने अथवा लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है, परंतु इस प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय रोगी स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कदापि नहीं लिया जा सकता।

### पैलिटिव केयर एक संवैधानिक अधिकार

पैलिटिव केयर यानी उपशामक देखभाल का तात्पर्य मरणासन्न व्यक्ति की आखिरी सांस तक की देखभाल से होता है। कुछ की मृत्यु कुछ घंटों या कुछ दिनों के भीतर संभावित होती है तो किसी को कई महीनों तक पैलिटिव केयर की जरूरत होती है। वैसे मृत्यु की भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता, परंतु कई मामलों में मरणासन्न व्यक्तियों की अगले 12 महीनों के भीतर मृत्यु होने की संभावना होती है।

मौत जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अंतिम दिनों तक सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इंडियन जर्नल ऑफ पैलिटिव केयर के सितंबर-दिसंबर, 2012 अंक के अनुसार पैलिटिव केयर एक संगठित प्रणाली के अंतर्गत घातक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के निदान से लेकर उसकी मृत्यु तक देखभाल करना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पैलिटिव केयर के अंतर्गत घातक बीमारी और उससे जुड़ी असहनीय, कष्टमय समस्याओं से पीड़ित रोगियों और उनके परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, असहनीय दर्द का शीघ्र निदान एवं प्रभावी इलाज करना और जुट्टिहीन मृत्यांकन करना शामिल है। पैलिटिव केयर में रोगियों की स्वास्थ्य समस्याओं के अतिरिक्त मनोसामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय से पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति प्राप्त करने से संबंधित मामलों में मेडिकल बोर्ड द्वारा मरणासन्न रूप से बीमार रोगी की विस्तृत जांच के बाद रोगी के रिश्तेदार के आवेदन को हाईकोर्ट की पूर्व मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मरणासन्न रूप से बीमार रोगियों को उनकी मृत्यु तक पैलिटिव केयर की सुविधा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ( 8 मार्च 2024 ) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 14 प्रतिशत आबादी को पैलिटिव केयर सुविधा उपलब्ध है, जबकि भारत में पैलिटिव केयर के इच्छुक केवल 1-2 प्रतिशत लोगों को ही यह सुविधा सुलभ है।

भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ससम्मान मृत्यु प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। यही कारण है कि वेदना से पीड़ित रोगी का केवल मरणासन्न व्यक्ति की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जैसी करने वाली पैलिटिव केयर सुविधा मौलिक अधिकार भी है।

असहनीय पीड़ा से पीड़ित मौत की कगार पर खड़े बच्चों को दिया जा सकता है, परंतु उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में भली-भांति जानकारी सुलभ होना अनिवार्य है। बेल्जियम में मानसिक रोगियों को भी यूथेनेशिया का अधिकार प्राप्त है, परंतु उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी होना अनिवार्य है।

**कनाडा** : कनाडा में असाध्य रोगग्रस्त मरणासन्न रोगियों को यूथेनेशिया की मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि कनाडा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गंभीर रोग और असहनीय पीड़ा से त्रस्त रोगी भी यूथेनेशिया के लिए अनुरोध कर सकते हैं, भले ही उनकी मृत्यु की संभावना निकट न हो।

**कोलंबिया** : कोलंबिया में शुरुआत में कैंसर और एड्स के कारण मरणासन्न व्यक्तियों तथा किडनी अथवा यकृत के फेल होने ( निष्क्रिय होने) से ग्रस्त रोगियों को ही यूथेनेशिया की अनुमति दी जाती थी, परंतु जुलाई, 2021 से अन्य रोगियों को भी ये अधिकार दिए जाने लगे, चाहे वे मृत्यु की कगार पर हों अथवा नहीं।

**फिनलैंड** : फिनलैंड में पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया अभी तक कानूनी रूप से अवैध है।

**चिली** : चिली में एक्टिव यूथेनेशिया और किसी चिकित्सक या व्यक्ति की सहायता में आत्मघाती कदम उठाना अभी भी प्रतिबंधित है, परंतु वर्ष 2012 से पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता प्राप्त है। मरणासन्न रोगी को मेडिकल ट्रीटमेंट यानी चिकित्सीय इलाज कराने से इंकार करने का अधिकार प्राप्त है।

**डेनमार्क** : डेनमार्क एक ऐसा देश है, जहां यूथेनेशिया को न तो कानूनी मान्यता प्राप्त है और न ही उसे अपराध माना जाता है। द लैसेट में वर्ष 2003 के अध्ययन की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क में लगभग एक प्रतिशत मौतें एक्टिव यूथेनेशिया के तहत होती हैं।

**जर्मनी** : जर्मनी में वर्ष 2014 में पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। यद्यपि एक्टिव यूथेनेशिया अभी भी प्रतिबंधित है।

**भारत** : भारत में एक्टिव यूथेनेशिया पूर्णतया असंवैधानिक है। हालांकि वर्ष 2018 में एक ब्रेन डेड यानी स्थाई रूप से अचेतन अवस्था के एक जीवित व्यक्ति के मामले में पैसिव यूथेनेशिया प्रक्रिया अपनाने की विधिक मंजूरी दी गई थी।

प्रक्रिया के लिए अनुरोध करना जरूरी है और इस प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी होने के साथ उसकी सहमति जरूरी है।

**स्वीडन** : स्वीडन में वर्ष 2010 से पैसिव यूथेनेशिया प्रक्रिया को कानूनी मान्यता प्राप्त है। वहां एक्टिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया अभी तक प्रतिबंधित है।

**ऑस्ट्रेलिया** : वर्ष 2019 और 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया के सभी छह राज्यों में यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता प्रदान की गई, परंतु कुछ प्रांतों में वर्ष 2023 तक यह कानून प्रभावी नहीं था। यूथेनेशिया की प्रक्रिया केवल वहां के नागरिक रोगियों पर अपनाई जा सकती है, जो गंभीर अवस्था से पीड़ित हो और जिनकी छह माह के भीतर मृत्यु संभावित हो ( तंत्रिका संबंधी विकारों से ग्रस्त रोगियों के लिए यह अवधि 12 महीने की है )। यूथेनेशिया प्रक्रिया के लिए कम से कम दो चिकित्सकों से संपर्क करना जरूरी है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टेरिटरी में यूथेनेशिया को अभी तक कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है।



**बेल्जियम** : नीदरलैंड के बाद बेल्जियम यूरोपीय संघ का दूसरा देश है, जहां वयस्कों के लिए वर्ष 2002 में तथा बच्चों के लिए वर्ष 2013 में यूथेनेशिया प्रक्रिया को कानूनी मान्यता दी गई। इस देश में भी असाध्य रोग की असहनीय पीड़ा से त्रस्त वे रोगी यूथेनेशिया के लिए अनुरोध कर सकते हैं जिनके रोग मुक्त होने की संभावना बिल्कुल नहीं हो। हालांकि इस देश में वह वयस्क व्यक्ति भी यूथेनेशिया के लिए अनुरोध कर सकता है, जो रोग के कारण मृत्यु की कगार पर न हो, परंतु ऐसी स्थिति में एक महीने की अवधि तक प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। बच्चों के मामलों में यूथेनेशिया का अधिकार केवल असाध्य रोग की





# सुल्ताना डाकू के अड़े पर छापे की योजना



दल-बल सहित 'फ्रेडी की सेना' रोज मार्च का स्वांग करते-करते रेलवे लाइन के किनारे चलते हुए हरिद्वार स्टेशन के मालगोदाम जा पहुंचे। फौरन से पेश्वर अपने इंतजार में खड़ी मालगाड़ी में सवार होकर अपने 'रण-क्षेत्र' को कूच कर गए। इस रवानगी के बारे में जिम कॉबेट ने अपनी पुस्तक माई इंडिया में तफसील से लिखा है। वो दर्ज करते हैं कि, "यह सब काम इतनी होशियारी से अंजाम दिया गया था कि गांव के पाही कुत्तों तक ने आवाज नहीं की।"

हैं। मैंने अपने तजुबों से ऐसा दिशा ज्ञान हासिल कर लिया था, जो कि रात में भी उतना कारगर था जितना कि दिन में। जब हम दो घंटे पहले उत्तर से पूरब की तरफ मुड़े थे तब भी मुझे दिशा बदलने का अंदाजा उतनी ही साफ तौर पर हुआ था जितना कि यह पैदल यात्रा शुरू करते वकत जब हमने पहली बार दिशा बदली थी। घंटे भर पहले ही हम एक सेमल के पेड़ के नीचे से गुजरे थे। इस पेड़ की पहचान यह थी कि इस पर एक गिड़ का घोंसला था। अब मैंने जब फ्रेडी को रुकने का संदेशा भिजवाया तो फिर एक बार हम लोग इसी पेड़ के नीचे थे।"

फ्रेडी के चार रहनुमाओं (रास्ता बताने वाले) में से दो सुल्ताना के गिर्योह के भूत थे। कुछ दिन पहले वे हरिद्वार के बाजार में पुलिस के हथके चढ़ गए थे। सुल्ताना के अड़े पर मारे जाने वाले छापे की योजना इन्हीं दोनों से उगलवाई गई जानकारी का नतीजा थी। ये दोनों आदमी पिछले दो बरस से सुल्ताना के अड़े पर वकत-वकत पर रह चुके थे। छापेमारी में सहयोग के एवज में उन्हें आजाद करने का वायदा किया गया था। बाकी दो आदमी मवेशी पालने वाले थे जिनकी पूरी जिंदगी इन्हीं जंगलों में मवेशी चराते बीती थी। ये दोनों सुल्ताना को रोजाना दूध पहुंचाया करते थे। ये चारों आदमी अपनी जित पर अड़े थे कि वे रास्ता नहीं भूले हैं, लेकिन जब उनसे और ज्यादा पूछताछ की गई तो थोड़ा

हिचकते उन्होंने कबूल किया कि जिस दिशा में फोंस को ले जा रहे हैं उस दिशा में उन्हें यदि पहाड़ियां दिख जाएं तो उन्हें बेहद खुशी होगी।" रात का यह अंधेरा तिस पर घनी धुंध ऐसे में कोई तीस मील दूर पहाड़ियां दिख पाना नामुमकिन था, लेकिन अब ओखल में सर दिया जा चुका था। जरा सी असावधानी पूरी बिसत को पलट सकती तो फ्रेडी की महानों की मेहनत मिट्टी हो सकती थी। जाहिर है घुमा फिरा कर ही सही रहनुमाओं ने रास्ता भटक जाने की जिम कॉबेट की आशंका पर मुहर लगा दी। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, 'अब आगे क्या होगा?'

गांवों के ये देसी कुत्ते दुनिया के बढिया से बढिया कुत्तों से भी ज्यादा बेहतियर चौकीदार साबित होते हैं। बरसाती कीचड़ में ढाई सौ जवानों के पांवों से बने गड्ढों में तेज बरसात के दौरान बमुश्किल खद-बद करते-करते ही कदम आगे बढ़ा पा रहे थे। मीलों तक हम हाथी घास में चले। घास की ऊंचाई मेरे सिर से भी ऊपर निकल रही थी। गौली जमीन पर चलने में अपना संतुलन बनाए रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि एक हाथ से मैंने अपनी आंखों पर ओटकर रखी थी। ओट करना इसलिए जरूरी था कि हाथी घास के कड़े सिरे, उस्तरे जैसे धारदार और नुकीले थे। मैं हमेशा से फ्रेडी के 20 स्टोन चार पाउंड वाले शरीर में भरी ताकत की तारीफ तो करता रहा हूँ, लेकिन उस रात मैं फ्रेडी कायल हो गया। यह सच है कि वह मेरे मुकाबले थोड़ी बेहतियर जमीन पर चल रहा था, जबकि मैं कीचड़ में था, लेकिन फिर भी मुझसे नौ स्टोन ज्यादा वजन के बावजूद फ्रेडी की फुल्टी देखने के काबिल थी। पूरे सफर में एक बार भी कहीं फ्रेडी दम भरने को रुका नहीं। हम लोग रात के नौ बजे चले थे। अब सुबह के दो बजे रहे थे। मैंने फ्रेडी को कानों-कान संदेशा भिजवाकर पूछा कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? मैंने यह संदेशा इसलिए भेजा था, क्योंकि पिछले एक घंटे से हम उत्तर दिशा छोड़कर पूरब की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि जाना हमें उत्तर की तरफ ही था। काफी देर बाद एक-एक जवान से मुंह और कान से होता हुआ फ्रेडी का जवाब मेरे पास आया, "कप्तान साब बोलते हैं कि सब ठीक है।" कीचड़ में, कहीं पेड़ वाले तो कहीं झाड़ी वाले जंगलों, कभी ऊंची घास में दो घंटे भटकने के बाद मैंने फ्रेडी को दूसरा संदेशा भेजा। मैंने उसे कहलवाया कि वह जवानों की लाइन को रुकवा दे ताकि लाइन के अगले सिरे पर पहुंचकर उससे बात कर सकूँ।



डॉ. नीलिमा पण्डेय  
प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

लाइन के पिछले सिरे से आगे की तरफ जब मैं बढ़ा तो हर जवान के चेहरे पर निगाह डालता गया था। वे सब एकदम खामोश थे, क्योंकि पहले ही उन्हें बता दिया गया था कि वे बोलेंगे नहीं। सबके चेहरे पर थकान पुती हुई थी। फ्रेडी और एंडरसन लाइन के आले सिरे पर मौजूद थे। उनके साथ उनके चार रहनुमा (रास्ता बताने वाले) भी थे। फ्रेडी ने मुझसे पूछा कि, क्या कुछ गडबड हो गया? मुझे मालूम था कि वह जवानों के बारे में पूछ रहा है। मैंने उसे बताया कि जवान तो ठीक हैं, लेकिन बाकी सब कुछ एकदम गडबड हो गया है। हम लोग पिछले कई घंटों से सिर्फ गोल-गोल घूम रहे हैं। जंगलों में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताने की वजह से मुझे मालूम है कि जंगल में भटक जाना कितना आसान

## भारत की विश्व को देन है वुट्ज स्टील यानी सेरिफ इस्पात

भारत के द्वारा किए गए खोज या आविष्कार के बारे में पूछते ही उत्साह भरा एक वाक्य सुनने को मिलता है, हमने जीरो खोजा है। इसके आगे पूछने पर बमुश्किल उत्तर मिल पाते हैं। इसके आगे का जवाब वुट्ज स्टील है।

भारत ने दुनिया को गणित और खगोल विज्ञान के अलावा धातुओं की खोज और उनके निर्माण की विधि का आविष्कार किया। मेहरगढ़ में लगभग सात हजार साल पहले के धातु के औजार मिलते हैं। मेहरगढ़ एक और भ्रम का निवारण करता है, यहां से इतने ही वर्ष पूर्व के गेहूं की फसल के अवशेष मिले हैं जिसके बारे में यह कहा जाता है कि गेहूं बाहर से भारत आया। गोधूम के नाम से इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। खैर हम वापस धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी (धातुकर्म) पर आते हैं। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें मध्य एशिया से एक तलवार का

सौदागर आता है जिसकी तलवार कट्टुप्पा बीच से चीर देता है। वास्तव में ये तलवारें जिस धातु से बनती थीं, वे सभी भारत के धातुकर्म विज्ञान के उत्पाद थे, जिन पर दमिशक, फारस और सेंट्रल मध्य एशियाई देश कारीगरी कर अपना व्यापार करते थे।

वुट्ज स्टील यानी सेरिफ इस्पात भारत की विश्व को देन है। आज से लगभग साढ़े तीन हजार साल पहले यह भारत में बना और मध्य एशिया होते हुए यूरोप पहुंचा। भारत में इसे उत्स कहा गया, जो परिवर्तित होकर वुट्ज के नाम से जाना गया। यह भारत के तमिलनाडु में पहली बार बनाया गया वहां से इसे अन्य क्षेत्रों में भेजा गया। अरब बाद में भारतीय स्टील से बनी तलवारों का केंद्र बना, वहां से यूरोप टैलिंग स्टील के नाम से गया। टैलिंग नाम भारत के तैलिंग क्षेत्र से पड़ा।

यह इस्पात कार्बन, गंधक, सिलिकॉन और आर्सेनिक के मिश्रण से बनता है। किस तापमान पर कौन सा तत्व

मिलने पर यौगिक बनेगा यह जानकारी भारतीयों को थी। ताप और दाब का मानकीकरण भारत की विश्व को देन थी। धातुओं को खान से निकालना और उन्हें परिष्कृत करना आज से सात हजार साल पहले भारत में हो रहा था, खानों का पता लगाना कल्पना के आधार पर तो हुआ नहीं होगा, कोई तकनीक अवश्य रही होगी।



डॉ पवन विजय  
एसोसिएट प्रोफेसर, जैनपुर

वुट्ज स्टील से बनी तलवार की ब्लेड इतनी तीक्ष्ण होती थी कि बाल को मध्य से चीर दे। इतनी महीन विद्या दुनिया को भारत की देन है। साथ ही एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि जंग रहित लोहा बनाने की विधि भी भारत में खोजी गई, इसमें निकेल का प्रयोग होता है। जंग रहित एक स्तंभ महरीली में है जिस पर बहुत सी बातें महाराजा चंद्र के बारे में लिखी हैं, पर एक महत्वपूर्ण बात जो लिखी है, वह यह कि उन्होंने सिंधु को पारकर यूनानियों के ऑक्सस यानी बल्लू पर विजय प्राप्त किया तो अब शून्य के अलावा वुट्ज स्टील भी याद रखिएगा।

वुट्ज स्टील से निर्मित चाकू।

## इतिहास के झरोखे से

### पंचाल राज्य का गौरवशाली इतिहास



डॉ. गिरिराज नन्दन  
इतिहासकार, अंबाला, बरेली

#### पंचाल के स्वतंत्र राजाओं की मुद्राएं

अहिच्छत्र एवं पंचाल प्रदेश से सर्वाधिक मुद्राएं प्रायः पंचाल के शासकों की ही मिलती हैं। यह मुद्राएं घातु, आकार-प्रकार, मोटाई तथा भार की दृष्टि से अनेक प्रकार की हैं। मुख्य भाग में लेख के ऊपर सभी मुद्राओं पर लगभग समान चिह्न होते हुए भी पृष्ठ भाग में विभिन्न प्रकार के चिह्न बने मिलते हैं। अग्निमित्र, सूर्यमित्र, भानुमित्र, इन्द्रमित्र, ध्रुवमित्र आदि नामों से युक्त मुद्राओं के पृष्ठ भाग में इन्हीं के प्रतीकात्मक संकेत चिह्न अग्नि, सूर्य, इन्द्र, ध्रुवतारा आदि के चित्र मिलते हैं।

#### अन्य शासकों की मुद्राएं

अहिच्छत्र से भारतीय यवन शासक ओपोलोडोटस (अपल दत्त) और मिनेडर (मिलिंद) की एक एक चतुकोण ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। यहां से कुण्दिग गण के राजा अमोघ भूति की ताम्र मुद्राएं का पतला प्रकार कभी-कभी मिलता रहता है। यहां से मथुरा के शासक गोमित्र, कामदत, पुरुषदत्त और रामदत्त, स्वर्ण से युक्त कैदार कुषाण मुद्राएं, कश्मीर के शासक विनयादित्य-प्रणादित्य, गुर्जर प्रतिहार शासक कुहिनर भोज आदिव राह की रजत मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। इनके अतिरिक्त अनाउदीन खिलजी, तुगलक शाह, फीरोज शाह तुगलक तथा मुहम्मद तुगलक आदि की मुद्राएं भी मिली हैं। इससे लगता है कि मुस्लिम काल में अहिच्छत्र आदि स्थानों पर यत्र-तत्र लोगों की बस्ती रही होगी।

#### मुद्रांक (गोहरे) एवं ताम्रपत्र

प्राचीन इतिहास को जानने के मुद्रांक (गोहरे) भी एक महत्वपूर्ण साधन हैं। यह मुद्रांक प्राचीन अर्थशास्त्र की दृष्टि से उत्तरी भारत के अपने जैसे स्थानों में प्रथम स्थान रखते हैं। इस कोट अथवा किले के टीलों के अतिरिक्त उसके बाहर चारों तरफ के ग्रामों में भी विभिन्न आकार के टीले फिरे हुए हैं जिनकी विशालता के कारण पुरातत्त्वविद इसकी और गभीरता से आकर्षित हुए। इन खंडहरों का सबसे पहले सर्व विभाग के हाडसन ने सन् 1833 में निरीक्षण किया। कई हिस्सों को उत्खनन एवं खोज (जॉन-पडगतल) कराई। सन् 1862-63 में अलेकजेंडर कनिंघम ने यहां की खुदाइयां कराईं। सन् 1888 में रामनगर के जमींदार रामपुर निवासी सदर उद्दीन खान ने यहां कुछ कार्य कराया। इसके बाद कुछ हिस्से की खुदाई सन् 1891-92 में प्रफे्ट मचान की तरफ बढ़ चले।

#### अहिच्छत्र के अवशेषों की खुदाइयां

जैन मंदिर के सामने कई किलोमीटर में फैले हुए 'अहिच्छत्र' के अवशेष (खंडहर) पुरातत्त्विक दृष्टि से उत्तरी भारत के अपने जैसे स्थानों में प्रथम स्थान रखते हैं। इस कोट अथवा किले के टीलों के अतिरिक्त उसके बाहर चारों तरफ के ग्रामों में भी विभिन्न आकार के टीले फिरे हुए हैं जिनकी विशालता के कारण पुरातत्त्वविद इसकी और गभीरता से आकर्षित हुए। इन खंडहरों का सबसे पहले सर्व विभाग के हाडसन ने सन् 1833 में निरीक्षण किया। कई हिस्सों को उत्खनन एवं खोज (जॉन-पडगतल) कराई। सन् 1862-63 में अलेकजेंडर कनिंघम ने यहां की खुदाइयां कराईं। सन् 1888 में रामनगर के जमींदार रामपुर निवासी सदर उद्दीन खान ने यहां कुछ कार्य कराया। इसके बाद कुछ हिस्से की खुदाई सन् 1891-92 में प्रफे्ट मचान की तरफ बढ़ चले।

#### सन् 1940 से 44 तक एवं सन् 1962-65 की खुदाइयां

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इगरेट्टर जनरल राय बहादुर के. एन. दीक्षित के निदेशन में सन् 1940 से 44 तक तथा 1963 से 1965 में एन. आर. बनर्जी ने अहिच्छत्र के अवशेषों का उत्खनन कराया। इसके पश्चात् कोई उत्खनन यहां नहीं हुआ है। सन् 1963-65 की खुदाइयां में विशेष परिणाम नहीं निकला। उस समय दुर्ग के पूर्वी भाग की चार दीवारों के दोनो ओर खुदाई कराकर देखी गई थी। यह चार दीवारें 16 फिट 8 इंच मोटी हैं। भवनों की दीवारें 50 फिट तक ऊंची मिली हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सन् 1940 से 1944 तक परकोटे के भीतर कई स्थानों पर खुदाई कराई गई। अनुमान था कि यहां प्राकृतिक ऐतिहासिक काल की वस्तुएं प्राप्त होंगी, परंतु ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिल सकी, जो अवशेष इस पिछली खुदाई में मिले हैं वे ईसवी पूर्व 300 से लेकर 1100 ईसवी तक के हैं। इनमें विभिन्न कालों के मकान सड़कें और ईंट के मंदिर हैं। इन मंदिरों की बनावट बौद्ध स्तूपों के ढंग की है। इनके ऊपर और प्रदक्षिणा-मार्ग बना हुआ है। अधिकांश मंदिर कुषाण और गुप्त काल के हैं। एक ऊंचे टीले की खुदाई सबसे निचली तह तक करने पर विभिन्न कालों में निर्मित इमारतों के भग्नावशेष प्रकाश में आए हैं। इन इमारतों को देखने से ज्ञात हुआ कि उनकी निर्माण-शैली में विभिन्नता है। यह भी पता चलता है कि तक्षशिला आदि नगरों के समान नगर-निर्माण व्यवस्था यहां नहीं थी। अहिच्छत्र की खुदाई से नगर के मध्य में एक विशाल मंदिर पता चला है। यहां पकी हुई ईंटों की जो दीवारें मिली हैं, वे 40 से 50 फुट तक ऊंची हैं। इसी समय यहां के एक ऊंचे तथा बड़े ढांचे की खुदाई (परी तृतीय) की ऊपर से सबसे नौकी तह तक की गई। विभिन्न तहों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उनका जो काल वर्गीकरण किया गया है वह निम्न प्रकार है :-

नवीं तह - 300 ई. पूर्व से पहले / आठवीं तह - 300 से 200 ई. पूर्व / सातवीं तह - 200-100 ई. पूर्व / छठी-पांचवीं तह - 100 से 100 ई. पूर्व / चौथी तह - 100-350 ई. तीसरी तह - 350-750 ई. / दूसरी तह - 750-850 ई. / प्रथम तह - 850-1100 ई. इस वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खुदाई से अहिच्छत्र के प्राचीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है और विभिन्न कालों के संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हो गई है।

## भारत में मुद्रा की यात्रा

1840 के दशक में कैलिफोर्निया और आस्ट्रेलिया में सोने की नई खानें खुल गईं। सोने का उत्पादन बहुत बढ़ गया। इस दशक में दुनियाभर में चांदी के मुकाबले सोने का उत्पादन डेढ़ सौ गुना अधिक हो गया था। परिणाम स्वरूप चांदी के मुकाबले सोना बहुत सस्ता हो गया। जनता भूमि की लगान और अन्य कर चांदी के रूपों के बजाय सोने की मोहरों से चुकाने लगी। आखिरकार 1 जनवरी, 1853 को मुद्रा के रूप में सोने के चलन को पूरी तरह बंद कर दिया गया।



रखने की व्यवस्था की गई। ब्रिटेन के शाही टकसाल में सोने के सिक्के और मोहरें डाली जाती थीं, लेकिन भारत में इसकी अनुमति नहीं थी।

1910 में दस और पचास रुपए के नोट अखिल भारतीय कर दिए गए थे। 1911 में एक सौ रुपए का नोट भी अखिल भारतीय हो गया था। 1917 में ढाई रुपए और 1918 में एक रुपए का नोट जारी हुआ। 29 जून, 1917 के बाद चांदी और सोने के सिक्कों के लेन-देन को अपराध घोषित कर दिया गया था। 1931 में भारत में सोने का भाव पौने तीस रुपए प्रति तोला था। इसके बाद सोने के दाम उच्चतर बढ़ने लगे। 1929 से 1937 के बीच विश्व में सोने के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस अवधि में विश्व में 6740 टन सोने का उत्पादन हुआ। 1931 में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत ने अपना सोना बेचने का निर्णय लिया। भारत में सोने के खरीददार नहीं थे, इसलिए भारत का सोना विदेश जाना लगा। इससे पहले भारत सोना खरीद रहा था। बीसवीं सदी के प्रारंभ से 1931 तक भारत में तकरीबन सात अरब रुपए मूल्य का सोना बाहर से आया था, लेकिन 1931 से 1940 के बीच भारत को इसमें से करीब चार अरब का सोना पुरती के लिए जो करैसी रिजर्व था, उसमें से कुछ सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रख दिया गया। 1906 में गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की एक शाखा भारत में भी खोली गई, इसमें सोने के बजाय छह करोड़ रुपए



## आगरा में है अकबर के घोड़े की समाधि

राजाओं के भी शोक निराले हुआ करते थे। अगर प्रसन्न हुए तो जागीर दे दी, क्रोधित हुए तो सर कलम करा दिया और जब सम्राट अकबर द ग्रेट की बात हो तो कुछ और भी बातें जुड़ जाती हैं, इस महान सम्राट के नाम से। आगरा में आगरा-मथुरा रोड पर गुरु का ताल के सामने सड़क के उस पार फ्लाईओवर आरंभ होने से पहले ही एक लाल पत्थर की घोड़े की मूर्ति ध्यान आकर्षित करती है। इसके निकट ही एक मस्जिदनुमा परिसर भी है जिसको चाहर दीवारी से घेरा गया है। बताते हैं कि यह मूर्ति अकबर के प्रिय घोड़े की है। इस परिसर में ही इतबारी खान की मस्जिद भी है।



राजगोपाल सिंह वर्मा  
वरिष्ठ लेखक, आगरा

यदि घोड़े की बात करें तो इसकी खासियत यह थी कि अकबर ने दिल्ली से 195 किलोमीटर की यात्रा इस घोड़े की पीठ पर ही तय की थी। जिस स्थान पर यह समाधि बनी है, उसके निकट आकर घोड़े ने दम तोड़ दिया था। उसको श्रद्धांजलि स्वरूप अकबर ने उसे यहां दफनाया और उसकी कब्र पर यह बड़ी मूर्ति स्थापित कराई थी। हालांकि यह मूल स्थान नहीं है। मूल स्थान कुछ कदम पीछे है, जहां पर आगरा-दिल्ली रेलवे लाइन स्थापित करने के लिए इसे ब्रिटिश काल में वर्ष 1922 में पुनर्स्थापित करना पड़ा था। एक चित्र में आप इस स्थल के पीछे से गुजरती ट्रेन को स्पष्ट देख सकते हैं। एक अकेले लाल सैंडस्टोन से तराशी गई इस मूर्ति और मस्जिद का स्थापना वर्ष निश्चित नहीं है, परंतु इतिहासकार इसकी अवधि सन् 1580-1605 के मध्य की बताते हैं। परिसर में स्थित मस्जिद को काफूर की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तीन महाराजदार यह छोटी सी मस्जिद मात्र 13 फीट लंबी और दस फीट चौड़ी है। इसके शीर्ष पर एक गुंबद है। पहले इसके पीछे कुछ कमरे बने थे और एक कुआं भी हुआ करता था, परंतु अब न तो कमरे दिखते हैं और न ही कुआं अपनी स्थिति में है। एक अन्य चबूतरे पर एक कब्र-पाषाण बना है। महाराजों के ऊपर तीन फलकों पर फारसी में शिलालेख अंकित हैं। इस मस्जिद का निर्माण जहांगीर के कृपापत्र जागीरदार इतबारी खान ने कराया था।

एक महत्वपूर्ण सामंत होने के साथ ही वह जहांगीर के हरम का नाजिर या अधीक्षक भी हुआ करता था। वह जहांगीर का स्वाभिभव और विश्वासपात्र था। उस समय किले के खजाने की रक्षा का दायित्व भी उसके पास हुआ करता था।

बताते हैं कि इतबारी खान ने ख्वाजा काफूर नामक सूफी संत के लिए मस्जिद और संलग्न कक्ष बनवाए थे। कुछ किंवदंतियां इस परिसर में स्थित घोड़े की मूर्ति को इतबारी खान का लाइला घोड़ा बताते हैं, परंतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसे अकबर का ही अधिकृत घोड़ा मानता है और तदनुसार इसे संरक्षित स्मारक का स्तर प्रदान किया गया है।

